न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—328 सन् 2023

जीवन प्रकाश सिंह वगै0 ....वादीगण।

बनाम
सफिया कुंवर वगै0..............................प्रतिवादीगण।

दिनांक—30.01.2025

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक—01.04.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त मुकदमा दाखिल कर अदालत से बैनामा दिनांक 29.09.2003 नविस्ते प्रतिवादी फरीक 01 बनाम प्रतिवादी फरीक 02 को जाली फरेबी करार देने वास्ते दाखिल किया है। इसी बीच प्रतिवादी विवादित एराजी पर ईट, बालू, मिट्टी वगैरह समानात गिराकर मिट्टी खुदाई का कार्य करना शुरू कर दिया है और गृह निर्माण करने के लिए अमादे हैं। प्रतिवादी के द्वारा इस तरह के कार्य करने से विवादित भूमि का स्वरूप बदल जाएगा। इसके लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर विवादित एराजी का स्वरूप अभिलेख पर आना न्याय के लिए जरूरी हो गया है। अतः निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी स्थल जांच हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया है तथा कथन किया है कि प्रतिवादी तकरारी एराजी का स्वरूप बदलने पर अमादे हैं। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप का अधिवकता आयुक्त नियुक्त कर प्रतिवेदन अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 01.04.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क—3500/—रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री राकेश प्रसाद चौरसिया को नियुक्ति किया जाता है।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर सारण।